फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ालय उपखण्ड

...सं० ... /2016

पीठासीन अधिकारी– ...

अज अदालत..मुकाम........................

....बनाम........................

किस्म मुकदमा...नं.............................सन.................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20 2/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। निगरानी वादी जवाब सरकार के दिनांक 7-4-20 को पेश हो।	
7 4/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। जवाब सरकार दाखिल हो चुका है। डी०जी०सी० माल व निगरानी वादी बहस के दिनांक 21-7-20 को पेश हो।	
21 7/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गई। निगरानी वादी आदेश के दिनांक 17-8-20 को पेश हो।	
26 2/21	पत्रावली विलम्ब से पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया [illegible] पत्रावली [illegible] संचित [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

[illegible]

यालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

नं0 / 2016 | तारीख दायरा 1.12.2016 | तारीख फैसला 26.02.2021

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2– कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :–
1– प्रार्थी अधिवक्ता – श्री एन.के.पारेता एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया कि वाके माल ग्राम ख्यावदा ,तहसील पीपल्दा में प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 264 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि गंगाराम पुत्र अमरा गुर्जर निवासी ख्यावदा की खातेदारी में चली आ रही थी, तथा संवत् 2035 से 2038 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भंवरलाल पुत्र गंगाराम गुर्जर निवासी ख्यावदा के खाते में दर्ज हुयी थी जो पैतृक भूमि है तथा पीढी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती आ रही है। पूर्वजों के समय से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है।

यह कि द्वितीय सेटलमेन्ट ऑपरेशन भूप्रबन्ध 2041– 2060 में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 735 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम ख्यावदा में कायम कर राजस्थान भू–राजस्व (बन्दोबस्त कार्यवाही) राजस्व मण्डल

1957 के अन्तर्गत पर्चा लगान जारी किया गया किन्तु तत्कालीन खातेदार भंवरलाल पुत्र गंगाराम गुर्ज द्वारा आपत्ति करने पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकार एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी तहसील पीपल्दा जिला कोटा द्वारा जांच करवाकर मौके पर पुनः नाप करवाकर अधिनस्थ कर्मचारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर खसरा नम्बर 735 रकबा 1.84 है0 कायम कर संशोधित पर्चा लगान जारी किया गया था किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा दुरूस्ती कर देने के बाद भी उक्त इन्द्राज दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है जिसके कारण प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात हुआ है।

यह कि उक्त खसरा नंबर 735 रकबा 1.54 है0 दो भागों में विभाजन के तहत विभाजित हो चुका है तथा रकबा 0.77 है0 व 0.77 है0 दर्ज हुआ है जबकि पूर्व संशोधित रेकार्ड मौके पर मौजूद रकबे के अनुसार कुल रकबा 1.84 है0, दर्ज होकर 0.92 है0 व 0.92 हैक्टेयर पृथक पृथक खाते मतें दर्ज होना चाहिये था।

यह कि उक्त त्रुटि दरूस्ती योग्य है क्योंकि सेटलमेन्ट की त्रुटि व अमल दरामद में हुयी चूक के कारण प्रार्थीगण को अपने वैध हकों से वंचित होना पड़ा है इस कारण प्रार्थीगण रकबा दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। , खसरा नं0 805 रकबा 1.36 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 8.46 है0 पैमूद किये गये।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कमी रकबा की पूर्ति हेतु निम्न निवेदन किया है:–

कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जारी संशोधित पर्चा लगान के अनुसार खसरा नम्बर 735 रकबा 1.54 है0 , में दुरूस्ती करते हुये रकबा 1.84 है0 वाके ग्राम ख्यावदा में कायम कर विभाजित रकता 0.92 है व 0.92 है0 का पृथक पृथक खाते में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार पीपल्दा ने उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया जाकर पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा कथन किया कि गत खसरा नं0 264 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 1.84 है0 तथा हाल खसरा नं0 735 रकबा 1.54 है0 दर्ज किया है जो गत रकबे के मुकाबले 0.30 है0 कम दर्ज हुआ है, लेकिन प्रस्तुत दस्तावेजों में यह पता नही चल रहा कि कम हुआ रकबा कौनसे खसरा नम्बर में दर्ज किया है। प्रार्थी द्वारा जो कथन किया गया है जो पूर्ण रूप से अस्वीकार है। क्योंकि पर्चा लगान में प्रार्थी के खसरा नं0 318 रकबा 1 बीघा अर्थात 0.16 है0 अर्थात गत के मुकाबले 0. 08 है अधिक दर्ज हुआ। तथा इसी प्रकार खसरा नं0 963 रकबा 0.94 है0 जो मुताबिक मिकलान क्षैत्रफल व जमाबन्दी के अनुसार खसरा नं0 606 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है (अर्थात 0.77 है0) अर्थात गत के मुकाबले 0.94 –0.17 = 0.17 है0 अर्थात कुल अधिक रकबा 0.08 + 0.17 है0 = 0.25 है0 दर्ज हुआ है। पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2035–2038 में कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 2.83 है0 – 2.72 है0 = 0.11 हैक्टर है, जिसको ही प्रार्थी द्वारा दुरस्त करवाने हेतु विधि सम्मत घोषणा का वाद दायर किया जाना चाहिये था जो नहीं किया है। अतः अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है प्रार्थी का किस खसरा नम्बर में विलय किया गया है तथा प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा से की जानी है वांछित रिकॉर्ड प्रस्तुत नही करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व कॉर्ड एवं जवाब सरकार का गहन अध्ययन मनन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर सुना गया। प्रकरण के अवलोकन पर हम पाते है कि विवादित आराजी की कमी रकबा की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है तथा वाद विधि सम्मत उचित अन्तर्गत धारा में प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा विधि सम्मत घोषणा का वाद प्रस्तुत नही करने पर विवादित आराजी में कमी रकबा की पूर्ति किया जाना सही प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट. का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा